<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>14/2/2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बैंगलोर आंचलिक कार्यालय ने 12.02.2026 को राजेश वी.आर., श्रीमती नागावली बी.एस. और उनके सहयोगियों से संबंधित 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिनका बाजार मूल्य 16.95 करोड़ रुपये है। जब्त की गई संपत्तियां आरोपियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन से खरीदी गई थीं। जब्त की गई अचल संपत्तियों में रामनगर, मैसूर और बैंगलोर में स्थित भूमि, भूखंड और भवन शामिल हैं।

बेंगलुरु के सुब्रमण्यपुरा पुलिस स्टेशन में श्रीवैभव सौहार्द पट्टिना सहकारी नियमिता सोसाइटी की अध्यक्ष श्रीमती नागावली बी एस, सीईओ राजेश वी आर और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। एफआईआर कर्नाटक राज्य संघीय सहकारी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बेंगलुरु शहर स्थित श्रीवैभव सौहार्द पट्टिना सहकारी नियमिता ने अपनी अध्यक्ष श्रीमती नागावली बी एस और सीईओ राजेश वी आर के स्वामित्व वाली संस्थाओं को उचित जमानत प्राप्त किए बिना ऋण स्वीकृत किए थे और उक्त संस्थाओं द्वारा ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। संस्था के प्रमुख व्यक्तियों ने अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करके अपने लाभ के लिए जमाकर्ताओं को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाया है।

पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, आरोपी सोसायटी और उसके प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न अन्य एफआईआर और चार्जशीट प्राप्त हुईं। घोटाले की कार्यप्रणाली से पता चला कि:

1. राजेश वी.आर. (सोसायटी के सीईओ) और श्रीमती नागावली बी.एस. (सोसायटी की अध्यक्ष) कानूनी रूप से विवाहित दंपत्ति हैं। उन्होंने जनता से जमा राशि प्राप्त करने और उसे अपने अवैध लाभ के लिए निवेश करने के गलत इरादों से वर्ष 2011 में सिरिवैभव सौहार्द पतिना सहकारी नियमित सहकारी समिति की स्थापना की।

2. उन्होंने अन्य आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके, जिनमें से अधिकांश उनके द्वारा ही खोली गई थीं, जनता की जमा राशि में से लगभग 65 करोड़ रुपये का गबन किया और इस प्रकार अपराध से प्राप्त धन अर्जित किया।

3. इस अपराध से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा उनके निजी खातों और उनके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से खोली गई फर्जी संस्थाओं के खातों में जमा किया गया।

4. गबन की गई राशि का उपयोग उन्होंने अपने निजी लाभ के लिए किया, जैसे अचल संपत्तियों की खरीद, व्यवसाय में निवेश और व्यक्तिगत उपभोग आदि।

आगे की जांच जारी है।